न्यायालय सहायक कलक्टर, सरदारशहर

बइजलास दिव्या RAS

प्रार्थना पत्र सं. 06/2024

अनुवान जुबेदा आदि बनाम सलीम आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 रा0 का0 अधि0 1955

आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा धारा 151 दी0 प्र0 सं0

निर्णय दिनांक 24/02/2025

1. जुबेदा पत्नी आमीन जाति काजी निवासी वार्ड नं0 3, सिवाणी बास, सरदारशहर जिला चूरू
2. इस्माईल पुत्र आमीन जाति काजी निवासी वार्ड नं0 3, सिवाणी बास, सरदारशहर जिला चूरू
3. इब्राहिम पुत्र आमीन जाति काजी निवासी वार्ड नं0 3, सिवाणी बास, सरदारशहर जिला चूरू
4. सतार पुत्र आमीन जाति काजी निवासी वार्ड नं0 3, सिवाणी बास, सरदारशहर जिला चूरू
5. गुलशन पुत्री आमीन जाति काजी निवासी वार्ड नं0 3, सिवाणी बास, सरदारशहर जिला चूरू

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. मोहम्मद सलीम पुत्र अजीमा जाति फकीर निवासी वार्ड नं0 3, सिवाणी बास, सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
2. मोहम्मद सरीफ पुत्र अजीमा जाति फकीर निवासी वार्ड नं0 3, सिवाणी बास, सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
3. मोहम्मद ईदरीश पुत्र अजीमा जाति फकीर निवासी वार्ड नं0 3, सिवाणी बास, सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार एवं पदेन उपपंजीयक सरदारशहर जिला चूरू (राज.)

– अप्रार्थीगण

5. युनुस पुत्र आमीन जाति काजी निवासी वार्ड नं0 3, सिवाणी बास, सरदारशहर जिला चूरू
6. जैतून पुत्री आमीन जाति काजी निवासी वार्ड नं0 3, सिवाणी बास, सरदारशहर जिला चूरू
7. सल्लू पुत्री आमीन जाति काजी निवासी वार्ड नं0 3, सिवाणी बास, सरदारशहर जिला चूरू
8. बानो पुत्री आमीन जाति काजी निवासी वार्ड नं0 3, सिवाणी बास, सरदारशहर जिला चूरू

– गौण अप्रार्थीगण

उपस्थितिः

1. श्री महावीर प्रसाद नेहरा एडवोकेट वास्ते प्रार्थीगण
2. श्री ओमप्रकाश चौधरी एडवोकेट वास्ते अप्रार्थी सं0 1 ता 3
3. एकपक्षीय कार्यवाही वास्ते गौण अप्रार्थी सं0 5 ता 8
4. पैरोकार राज वास्ते प्रतिवादी सं0 4

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2025.04.30 14:24:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का [illegible] इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य मूल वाद [illegible] वगैरा नं0 दावा 374/98 न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन है। जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 06.[illegible] नियत है। अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 वादगत कृषि भूमि को समतल कर विक्रय करने पर आमादा है। इसलिए प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। कृषि भूमि गत ख0नं0 390 तादादी 34 बीघा 8 बिश्वा रोही मौजा बीकमसरा में प्रार्थीगण के परदादा स्व0

कालू वल्द नब्बू शाह के नाम से खातेदारी की कृषि भूमि थी। स्व0 कालू के फौत होने के पश्चात इंतकाल नं0 44 दर्ज करते समय गलत रूप से गलत कुर्सीनामा बनाकर वादगत कृषि भूमि का विरास्तन इंतकाल खैरदीन व स्व0 अजीमा के नाम से दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थीगण के दादा गनी उस समय मौजूद थे। उनका नाम छोड़कर गलत रूप से इंतकाल दर्ज कर दिया गया। जिसको दुरूस्ती हेतु उपरोक्त अनुवानी दावा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थीगण के पिता द्वारा दायर किया गया था। वाद की स्थिति समझने के लिए दावा की मद सं0 1 में अंकित किया गया है। प्रार्थीगण के परदादा कालू पुत्र नब्बू शाह के पांच पुत्र हुए थे। जिनमें सबसे बड़ा जमाल जो पाकिस्तान चला गया। उसके बाद गनी जो प्रार्थीगण दादा थे। जो फौत हो चुके हैं उनके जायज वारिसान एवं कानूनी उत्तराधिकारी प्रार्थीगण के पिता आमीन थे तथा इसके पश्चात खैरदीन जो लाऔलाद फौत हो चुके थे। उसके बाद अजीमा जो अप्रार्थीगण के पिता थे जो फौत हो चुके हैं। उसके बाद सदीक थे जो पाकिस्तान चले गये। इस प्रकार वादगत कृषि भूमि में स्व0 कालू पुत्र नब्बू के जायज वारिसान में प्रार्थीगण के दादा गनी व अप्रार्थीगण के पिता अजीमा मौजूद थे जिनके नाम से वादगत कृषि भूमि का विरास्तन इंतकाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिये था। प्रार्थीगण का वादगत कृषि भूमि में अपने 1/2 हिस्सा पर अपने दादा के जीवनकाल से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसलिए गलत बने राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करने हेतु और प्रार्थीगण के पिता आमीन के नाम 1/2 हिस्सा ब0हि0ब0 दर्ज करने हेतु दावा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जो विचाराधीन है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। वादगत कृषि भूमि सरदारशहर से बीकमसरा रोड़ पर स्थित है जिसकी कीमते वर्तमान में काफी बढ गई है इसलिए अप्रार्थीगण के मन में लालच आ गया है और उन्होंने वादगत कृषि भूमि को अन्य किसी दीगर शख्स को विक्रय करने एवं खुर्द–बुर्द करने के आशय से दौराने दावा वादगत कृषि भूमि का विरास्तन इंतकाल दर्ज करवाकर परित्याग करवाकर कृषि भूमि वर्तमान ख0नं0 736 तादादी 8. 7000 हैक्टेयर रोही मौजा बीकमसरा का राजस्व रिकॉर्ड अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज करवा लिया उसके बाद अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 ने आपस में सहमति से खाता विभाजन करवाकर वादगत कृषि भूमि के अलग–अलग ख0 नं0 व राजस्व रिकॉर्ड कायम करवा लिया। बाद विभाजन वादगत कृषि भूमि ख0नं0 973/736 अप्रार्थी सं0 1 मोहम्मद सलीम व ख0नं0 974/736 अप्रार्थी सं0 3 मोहम्मद ईदरीश व ख0नं0 975/736 अप्रार्थी सं0 2 मोहम्मद सरीफ के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया। जो राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती के काबिल है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा के संतुलन का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 ने दौराने दावा वादगत दावा में पक्षकार होते हुए वादगत कृषि भूमि को खुर्द–बुर्द करने के आशय से प्रार्थीगण का कब्जा काश्त से बेदखल करने के आशय से कृषि भूमि के ग्राहक तैयार कर रहे है। ... पर भूमि समतल करवाई जाकर प्लॉट काटे जा रहे है और वादगत कृषि भूमि विक्रय कर खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 अपने अवैध मंसूबों में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूरतीय क्षति होगी वाद बाहुल्यता बढेगी और प्रार्थीगण अपने पैतृक विरास्तन हक हिस्से वंचित हो जायेगे इसलिए प्रार्थीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 को जरिये अस्थाई व्यादेश से वर्जित करवावे कि वो वादगत कृषि भूमि को अन्य किसी दीगर शख्स को

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2025.04.30 14:24:25 IST
Reason: SelfAttested

विक्रय रहन दान वसीयत आदि नहीं करे या नहीं करवाये तथा प्रार्थीगण को कब्जा काश्त से बेदखल नहीं करे तथा ना ही ऐसा कार्य व उपकार्य करे अथवा करवाये जिससे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व हक हिस्से पर विपरीत असर पड़े तथा अप्रार्थी सं0 4 को वर्जित किया जावे कि वादगत कृषि भूमि से सम्बन्धित दस्तावेजात का पंजीयन नहीं करे। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी सं0 1 ता 3 को वर्जित किया जावे कि वो वादगत कृषि भूमि ख0नं0 973/736 रकबा 2.9000 हैक्टेयर ख0नं0 974/736 रकबा 2.9000 हैक्टेयर व ख0नं0 975/736 रकबा 2.9000 हैक्टेयर रोही बीकमसरा तहसील सरदारशहर से प्रार्थीगण को कब्जा काश्त से बेदखल नहीं करे, कृषि भूमि अन्य किसी दीगर शख्स को विक्रय, रहन, दान, वसीयत आदि नहीं करे तथा ना ही ऐसा कार्य व उपकार्य करे अथवा करवाये जिससे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व हक हिस्से पर विपरित असर पड़े तथा अप्रार्थी सं0 4 को वर्जित किया जावे कि वादगत कृषि भूमि से सम्बन्धित दस्तावेजात का पंजीयन नहीं करें का अनुतोष चाहा गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सशुल्क तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 की ओर से श्री ओमप्रकाश चौधरी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली वास्ते जबाब अप्रार्थीगण नियत की गई। तत्पश्चात अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में बिन्दूवार जवाब अंकित किया उक्त कृषि भूमि बाबत न्यायालय हाजा में तीन बार अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चुके है। जो प्रार्थना पत्र पूर्व में निर्णित किये जा चुके है। उसके बावजूद फिर उसी प्रकार से बार–बार अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र निराधार रूप से पेश किये जा रहे है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण को उनकी कब्जा काश्त की हिस्सा भूमि से वंचित करने का प्रार्थीगण को कोई हक नहीं बनता है। अप्रार्थीगण को उक्त कृषि भूमि हर प्रकार से उपयोग–उपभोग करने दस्तावेजों को पंजीयन कराने का कानूनी रूप से हक अधिकार हासिल है। उक्त दावा के साथ जो अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पूर्व में पेश किया गया था उसका निर्णय भी अप्रार्थीगण के पक्ष में हो गया था। उसके बाद दो बार अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का वास्तविकता से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। इसलिए निराधार तथ्य अंकित कर हस्तगत वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया गया होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण काबिले खारिज है। प्रार्थना पत्र सं0 122/97 अनुवानी आमीन बनाम अजीमा दिनांक 16.12.1997 को इन्हीं भूमियों के सम्बन्ध में पेश हुआ था। जिसमें प्रार्थना पत्र चलाना नहीं चाहते के आधार पर उक्त प्रार्थना न्यायालय द्वारा दिनांक 27.02.2004 को खारिज किया गया था। तत्पश्चात उक्त अनुवानी दावा में दिनांक 24.02.2006 को दूबारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो वर्तमान में भी न्यायालय में जेरकार है जिसकी आगामी पेशी दिनांक 20.12.2024 नियत है। इस प्रकार एक ही भूमि के सम्बन्ध में बार–बार प्रार्थी पक्षकारों को संयोजित कर बार–बार नया प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय को भ्रमित कर मिथ्या तथ्यों के आधार पर वर्तमान प्रार्थना पत्र अनुवानी जुबेदा आदि बनाम सलीम आदि में स्थगन हासिल करना चाहते है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना काबिले खारिज है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण से प्रतिशोधात्मक व्यय दिलवाया जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2025.04.30 14:24:25 IST
Reason: SelfAttested

बहस पक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए मौखिक कथन किया कि कृषि भूमि गत ख0नं0 390 तादादी 34 बीघा 8 बिश्वा रोही मौजा बीकमसरा में प्रार्थीगण के परदादा स्व. कालू वल्द नब्बू शाह के नाम से खातेदारी की कृषि भूमि थी। स्व0 कालू के फौत होने के पश्चात इंतकाल नं0 44 दर्ज करते समय गलत रूप से गलत कुर्सीनामा बनाकर वादगत कृषि भूमि का विरास्तन इंतकाल खैरदीन व स्व0 अजीमा के नाम से दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थीगण के दादा गनी उस समय मौजूद थे। उनका नाम छोड़कर गलत रूप से इंतकाल दर्ज कर दिया गया। जिसको दुरूस्ती हेतु उपरोक्त अनुवानी दावा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थीगण के पिता द्वारा दायर किया गया था। वाद की स्थिति समझने के लिए दावा की मद सं0 1 में अंकित किया गया है। प्रार्थीगण के परदादा कालू पुत्र नब्बू शाह के पांच पुत्र हुए थे। जिनमें सबसे बड़ा जमाल जो पाकिस्तान चला गया। उसके बाद गनी जो प्रार्थीगण दादा थे। जो फौत हो चुके हैं उनके जायज वारिसान एवं कानूनी उतराधिकारी प्रार्थीगण के पिता आमीन थे तथा इसके पश्चात खैरदीन जो लाऔलाद फौत हो चुके थे। उसके बाद अजीमा जो अप्रार्थीगण के पिता थे जो फौत हो चुके हैं। उसके बाद सदीक थे जो पाकिस्तान चले गये। इस प्रकार वादगत कृषि भूमि में स्व0 कालू पुत्र नब्बू के जायज वारिसान में प्रार्थीगण के दादा गनी व अप्रार्थीगण के पिता अजीमा मौजूद थे जिनके नाम से वादगत कृषि भूमि का विरास्तन इंतकाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिये था। प्रार्थीगण का वादगत कृषि भूमि में अपने 1/2 हिस्सा पर अपने दादा के जीवनकाल से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसलिए गलत बने राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करने हेतु और प्रार्थीगण के पिता आमीन के नाम 1/2 हिस्सा ब0हि0ब0 दर्ज करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया था। जो विचाराधीन है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। वादगत कृषि भूमि सरदारशहर से बीकमसरा रोड़ पर स्थित है जिसकी कीमते वर्तमान में काफी बढ गई है इसलिए अप्रार्थीगण के मन में लालच आ गया है और उन्होंने वादगत कृषि भूमि को अन्य किसी दीगर शख्स को विक्रय करने एवं खुर्द–बुर्द करने के आशय से दौराने दावा वादगत कृषि भूमि का विरासतन इंतकाल दर्ज करवाकर परित्याग करवाकर कृषि भूमि वर्तमान ख0नं0 736 तादादी 8.7000 हैक्टेयर रोही मौजा बीकमसरा का राजस्व रिकॉर्ड अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज करवा लिया उसके बाद अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 ने आपस में सहमति से खाता विभाजन करवाकर वादगत कृषि भूमि के अलग–अलग ख0 नं0 व राजस्व रिकॉर्ड कायम करवा लिया। बाद विभाजन वादगत कृषि भूमि ख0नं0 973/736 अप्रार्थी सं0 1 मोहम्मद सलीम व ख0नं0 974/736 अप्रार्थी सं0 3 मोहम्मद ईदरीश व ख0नं0 975/736 अप्रार्थी सं0 2 मोहम्मद सरीफ के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया। जो राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती के काबिल है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा के संतुलन का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 ने [illegible] वादगत दावा में पक्षकार होते हुए वादगत कृषि भूमि को खुर्द–[illegible] को कब्जा काश्त से बेदखल करने के आशय से कृषि भूमि के नक्शे तैयार कर लिये [illegible] मौके पर भूमि समतल करवाई जाकर प्लॉट काटे जा रहे है और वादगत कृषि भूमि विक्र[illegible]र खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 अपने अवैध मंसूबों में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूरतीय क्षति होगी वाद बाहुल्यता बढेगी और प्रार्थीगण अपने पैतृक विरासतन हक हिस्से से वंचित हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2025.04.30 14:24:25 IST
Reason: SelfAttested

जायेगे इसलिए प्रार्थीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 को जरिये अस्थाई व्यादेश से वर्जित करवावे कि वो वादगत कृषि भूमि को अन्य किसी दीगर शख्स को विक्रय रहन दान वसीयत आदि नहीं करे या नहीं करवाये तथा प्रार्थीगण को कब्जा काश्त से बेदखल नहीं करे तथा ना ही ऐसा कार्य व उपकार्य करे अथवा करवाये जिससे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व हक हिस्से पर विपरीत असर पड़े तथा अप्रार्थी सं0 4 को वर्जित किया जावे कि वादगत कृषि भूमि से सम्बन्धित दस्तावेजात का पंजीयन नहीं करे। जिसके लिए जरिये अस्थाई व्यादेश से वर्जित करने हेतु निवेदन किया।

अप्रार्थी सं0 1 ता 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त कृषि भूमि बाबत न्यायालय हाजा में तीन बार अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चुके है। जो प्रार्थना पत्र पूर्व में निर्णित किये जा चुके है। उसके बावजूद फिर उसी प्रकार से बार–बार अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र निराधार रूप से पेश किये जा रहे है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। कृषि भूमि ख0नं0 390 तादादी 34 बीघा 8 बिश्वा रोही बीकमसरा तहसील सरदारशहर का अप्रार्थी सलीम, शरीफ व अदरीश पुत्रगण अजीमा जाति फकीर की बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त एवं उपयोग में चली आ रही है तथा उक्त कृषि अप्रार्थीगण के परिवार की पैतृक सम्पति है तथा शामलाती कब्जा काश्त की भूमि है। किसी प्रकार का कोई इंतकाल गलत दर्ज नहीं किया गया है। प्रार्थी के पिता ने अपने हिस्से की जमीन कालू वल्द नब्बू शाह के जीवनकाल में ही आमीन ने विक्रय कर दी थी। और ना ही प्रार्थना पत्र में यह अंकन किया गया है कि उक्त कृषि भूमि का विरास्तन इंतकाल उक्त सही कुर्सीनामा के आधार पर दर्ज होना था। जिसका हवाला नहीं दिया गया है। इस प्रकार से अपने हिस्सा की कृषि भूमि विक्रय करने के बाद प्रार्थीगण के मन में लालच आ गया था। जो आनन–फानन में मनघड़त प्रार्थना पत्र अंकित करके लाये है जो चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र महज अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने की नियत से पेश किया है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है। प्रार्थीगण का वादगत कृषि भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है एवं अपनी हिस्सा भूमि को प्रार्थीगण के पिता ने विक्रय कर दी थी। 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज करने हेतु दावा एवं प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जो विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र में यह तथ्य छुपाया गया है कि उक्त दावा के साथ प्रार्थना पत्र भी पेश किया था। जिसका निर्णय हो चुका है और उसके बाद फिर से उसी कृषि का दूबारा प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जो न्यायसंगत नहीं है। स्व0 अजीमा की मृत्यु के बाद वादगत कृषि भूमि का विरास्तन इंतकाल दर्ज करवाकर परित्याग करवाकर कृषि भूमि विक्रय या खुर्द–बुर्द करने का आशय ना तो कभी था और ना ही विक्रय करने की नियत है। अपने हिस्सा भूमि पर [illegible] आ रहा है। अपने अलग – अलग तीनो भाईयों का विभाजन कराने का का[illegible] हक [illegible] है जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाया था। जिसमें रिकॉर्ड दु[illegible] किसी प्रकार से गलत नहीं है। पहले विरास्तन इंतकाल, फिर परित्याग और [illegible]के बाद विभाजन जो सही सही तरीके से करवाया है। इसलिए सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में बनता है ना कि प्रार्थीगण के पक्ष में। वादगत कृषि भूमि पर हमेशा से ही अप्रार्थीगण व उनके पिता का ही कब्जा काश्त चला

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2025.04.30 14:24:25 IST
Reason: SelfAttested

आ रहा है। प्रार्थीगण कब्जा उक्त कृषि भूमि पर कभी नहीं था और ना ही जीवन में कभी कब्जा काश्त की। प्रार्थीगण के पिता स्व0 आमीन ने अपने हिस्से की कृषि भूमि को विक्रय कर दिया था और अप्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि को काश्त करते चले आ रहे है। उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण व उसके पिता का कभी कब्जा काश्त नहीं था उनके द्वारा अपनी हिस्सा भूमि पूर्व में विक्रय की जा चुकी है। वर्तमान में जमीनों की कीमते बढते देखकर प्रार्थीगण के मन में लालच आ गया है। अप्रार्थीगण को उनकी कब्जा काश्त की हिस्सा भूमि से वंचित करने का प्रार्थीगण को कोई हक नहीं बनता है। अप्रार्थीगण को उक्त कृषि भूमि हर प्रकार से उपयोग–उपभोग करने दस्तावेजों को पंजीयन कराने का कानूनी रूप से हक अधिकार हासिल है। उक्त दावा के साथ जो अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पूर्व में पेश किया गया था उसका निर्णय भी अप्रार्थीगण के पक्ष में हो गया था। उसके बाद दो बार अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का वास्तविकता से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। इसलिए निराधार तथ्य अंकित कर हस्तगत वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया गया होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण काबिले खारिज है। प्रार्थना पत्र सं0 122/97 अनुवानी आमीन बनाम अजीमा दिनांक 16.12.1997 को इन्हीं भूमियों के सम्बन्ध में पेश हुआ था। जिसमें प्रार्थना पत्र चलाना नहीं चाहते के आधार पर उक्त प्रार्थना न्यायालय द्वारा दिनांक 27.02.2004 को खारिज किया गया था। तत्पश्चात उक्त अनुवानी दावा में दिनांक 24.02.2006 को दूबारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो वर्तमान में भी न्यायालय में जेरकार है जिसकी आगामी ता.पेशी दिनांक 20.12.2024 नियत है। इस प्रकार एक ही भूमि के सम्बन्ध में बार–बार नये पक्षकारों को संयोजित कर बार–बार नया प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय को भ्रमित कर मिथ्या तथ्यों के आधार पर वर्तमान प्रार्थना पत्र अनुवानी जुबेदा आदि बनाम सलीम आदि में स्थगन हासिल करना चाहते है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना काबिले खारिज है। यदि अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 को उसके नाम की खातेदारी भूमि पर सुविधा लेने से वंचित किया जाता है तो अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 को अपूरणीय क्षति होगी।

वकील प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान अर्ज किये कथनों पर ध्यानपूर्वक मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख व प्रार्थना पत्र व जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों का अध्ययन किया गया, प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व अभिलेख की फोटो प्रतियों, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। न्यायालय को प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा के संतुलन का सिद्धान्त व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त पर विचार किया जाता है जो निम्न प्रकार पाये गये है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2025.04.30 14:24:25 IST
Reason: SelfAttested

<u>प्रथम दृष्टया मामलाः</u> अप्रार्थी[illegible] समतल कर विक्रय करने पर आमादा है। इसलिए प्रार्थीगण की ओर से [illegible] पत्र [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। कृषि भूमि गत ख0नं0 [illegible] बीकमसरा में प्रार्थीगण के परदादा स्व0 कालू वल्द नब्बू शाह के नाम से खातेदारी की कृषि भूमि थी। स्व0 कालू के फौत होने के पश्चात इंतकाल नं0 44 दर्ज करते समय गलत रूप से गलत कुर्सीनामा बनाकर वादगत कृषि भूमि का विरास्तन इंतकाल खैरदीन व स्व0 अजीमा के नाम से दर्ज कर दिया

गया। जबकि प्रार्थीगण के दादा गनी उस समय मौजूद थे। उनका नाम छोड़कर गलत रूप से इंतकाल दर्ज कर दिया गया। प्रार्थीगण के परदादा कालू पुत्र नब्बू शाह के पांच पुत्र हुए थे। जिनमें सबसे बड़ा जमाल जो पाकिस्तान चला गया। उसके बाद गनी जो प्रार्थीगण दादा थे। जो फौत हो चुके हैं उनके जायज वारिसान एवं कानूनी उतराधिकारी प्रार्थीगण के पिता आमीन थे तथा इसके पश्चात खैरदीन जो लाऔलाद फौत हो चुके थे। उसके बाद अजीमा जो अप्रार्थीगण के पिता थे जो फौत हो चुके हैं। उसके बाद सदीक थे जो पाकिस्तान चले गये। इस प्रकार वादगत कृषि भूमि में स्व0 कालू पुत्र नब्बू के जायज वारिसान में प्रार्थीगण के दादा गनी व अप्रार्थीगण के पिता अजीमा मौजूद थे जिनके नाम से वादगत कृषि भूमि का विरास्तन इंतकाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिये था। प्रार्थीगण का वादगत कृषि भूमि में अपने 1/2 हिस्सा पर अपने दादा के जीवनकाल से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसलिए गलत बने राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करने हेतु और प्रार्थीगण के पिता आमीन के नाम 1/2 हिस्सा ब0हि0ब0 दर्ज करने हेतु दावा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जो विचाराधीन है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है।

<u>सुविधा के संतुलन का सिद्धान्तः</u> वादगत कृषि भूमि सरदारशहर से बीकमसरा रोड़ पर स्थित है जिसकी कीमते वर्तमान में काफी बढ गई है इसलिए अप्रार्थीगण के मन में लालच आ गया है और उन्होंने वादगत कृषि भूमि को अन्य किसी दीगर शख्स को विक्रय करने एवं खुर्द–बुर्द करने के आशय से दौराने दावा वादगत कृषि भूमि का विरास्तन इंतकाल दर्ज करवाकर परित्याग करवाकर कृषि भूमि वर्तमान ख0नं0 736 तादादी 8.7000 हैक्टेयर रोही मौजा बीकमसरा का राजस्व रिकॉर्ड अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज करवा लिया उसके बाद अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 ने आपस में सहमति से खाता विभाजन करवाकर वादगत कृषि भूमि के अलग–अलग ख0 नं0 व राजस्व रिकॉर्ड कायम करवा लिया। बाद विभाजन वादगत कृषि भूमि ख0नं0 973/736 अप्रार्थी सं0 1 मोहम्मद सलीम व ख0नं0 974/736 अप्रार्थी सं0 3 मोहम्मद ईदरीश व ख0नं0 975/736 अप्रार्थी सं0 2 मोहम्मद सरीफ के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया। जो राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती के काबिल है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा के संतुलन का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है।

<u>अपूरणीय क्षति का सिद्धान्तः</u> हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा के संतुलन अपने पक्ष में प्रमाणित करने में सफल रहे हैं। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 प्रार्थीगण की हिस्सा भूमि से सुविधा लेने एवं काश्त करने से वंचित करना चाहता है। यदि अप्रार्थीगण ऐसा करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है तथा प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा के संतुलन का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में ही कानूनन माना जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2025.04.30 14:24:25 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा के संतुलन का सिद्धान्त एवं अपूरणीय क्षति साबित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता बाबत ख0 नं0 973/736 रकबा 2.9000 हैक्टेयर ख0नं0 974/736 रकबा 2.9000 हैक्टेयर व ख0नं0 975/736 रकबा 2.9000 हैक्टेयर रोही बीकमसरा तहसील सरदारशहर स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई व्यादेश वर्जित किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि को विक्रय, रहन, दान एवं वसीयत आदि नहीं करें या नहीं करवाये। पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

दिव्या (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 24/02/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में बाद हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकन सुनाया गया।

दिव्या (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर
सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2025.04.30 14:24:25 IST
Reason: SelfAttested